कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कमांकः– शिविरा/मा./लेखा डी–4/28199(परिपत्र)/19–20/ दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, **अत्यावश्यक**
जयपुर

विषयः– चोरी, गबन, हानि के बकाया प्रकरणो के निस्तारण हेतू कैम्प बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चोरी, गबन, हानि के अधिकांश प्रकरण आपके कार्यालय स्तर एवं आपके अधीनस्थ शालाओं मे काफी समय से लम्बित चल रहे है। उक्त बकाया प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतू निर्देशानुसार उप वित्तीय सलाहकार के नेतृत्व मे 20.07.2019 के बाद कभी भी एक कैम्प बीकानेर मुख्यालय या आपके कार्यालय मे प्रस्तावित किया गया है। आयोजित होने वाले कैम्प के स्थान और समय से आपको पृथक से अवगत करवा दिया जावेगा। अतः आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर लम्बित प्रकरणों मे निम्नानुसार पेरा ड्रॉप व प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न कार्यवाही पूर्ण करवा कर रखेः–

1. प्रकरण मे सक्षम अधिकारी द्वारा करवाई गई प्राथमिक जांच प्रति, जांच अनुसार दोषी कार्मिक व पयवेक्षणीय त्रुटि के लिए जिम्मेवार के विरूद्ध की गई विभागीय जांच कार्यवाही प्रति, दण्डादेश की प्रति, वसूली/समायोजन आदि के प्रमाणित साक्ष्य सहित पालना दो प्रतियों मे मय शाला प्रधान एवं आपकी स्पष्ट अभिशंषा सहित तैयार करवाकर रखे। यदि लम्बित प्रकरणो मे आज दिनांक तक सक्षम अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच ही पूर्ण नही करवाई हुई है तो केम्प से पूर्व जांच पूर्ण करवाकर उस अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर रखे।
2. प्रकरण मे पुलिस मे दर्ज करवाई गई एफआईआर प्रति, **न्यायालय द्वारा स्वीकृत एफआर की प्रति** तथा जो भी प्रकरण न्यायालय मे लम्बित चल रहे उन प्रकरणो की आवश्यक रूप से अद्यतन स्थिति प्राप्त कर पालना दो प्रतियों मे प्राप्त कर रखे।
3. चोरी के प्रकरण मे चोरी हुई सामग्री का पुस्तकीय मूल्य, कम्प्यूटर चोरी प्रकरण मे कम्प्यूटर के स्वामित्व की स्थिति, उसका पुस्तकीय मूल्य, पुनःस्थापन की स्थिति व संबंधित फर्म से अनुबंध की प्रतियां, संविदा अवधि मे कम्प्यूटर सेवा के बाधित होने पर फर्म से पेनल्टी राशि वसूली की स्थिति आदि कार्यवाही पूर्ण कर रखे।
4. यदि चोरी/हानि/गबन के जो भी प्रकरण आज दिनांक तक इस कार्यालय को नही भिजवाए गए है उनमे भी उक्त समस्त अपेक्षित कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण करवा कर रखे।
5. चोरी घटना की पुनरावृति रोकने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण।

विदित रहे कि **चोरी/गबन/हानि** से संबंधित प्रकरणों को **राज्य सरकार व निदेशक महोदय** द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। अतः इस संबंध मे आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय व आपके अधीनस्थ समस्त शालाप्रधानों मय लेखा संवर्ग व संबंधित को पाबंद करे कि **20.7.2019 तक** समस्त संकायों से संबंधित पत्रावलियां, बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना, प्रमाणित साक्ष्यों तथा नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी सहित, समस्त समीक्षा पत्रों (ड्रॉपर्स) की छाया प्रति दो प्रतियों मे **अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित सभी संलग्नको की सुपाठ्य प्रति आप द्वारा, संस्था प्रधान, व लेखा सेवा के अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर अपनी तैयारी कर पूर्ण रखे ताकि 20.07.19 के बाद लगने वाले केम्प मे ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही की जा सके।**

"इसे सर्वोच्च प्राथमिकता व गंभीरता से लेवे।"

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

ह०
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

कमांकः– शिविरा/मा./लेखा डी–4/28199(परिपत्र)/19–20/ ९५ दिनांक 01-07-19

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. अनुभाग अधिकारी, निदेशक निजी अनुभाग।
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर